तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान सरकार बनाम ..... TI	नंबर अहकाम हुक्म में जारी
	मुकदमा नं० 12/18 ..... निर्णय दि० 23-2-18	
23/2/18	[illegible] वादिनी [illegible] वादिनी [illegible] की गई। इस प्रकरण की भूमि से संबंधित मुआवजा [illegible] आवश्यकता निरस्तगी (TI) [illegible] 28/16 में [illegible] करके TI जारी की जा चुकी है ऐसी स्थिति में इस प्रकरण आवश्यकता निरस्तगी TI का कोई औचित्य नहीं रहता है। [illegible] TI [illegible] होने से [illegible] निरस्त होकर [illegible] में [illegible] निर्णय [illegible] सरकार [illegible] में [illegible] गया। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा	